

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा
(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)
पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

रणवीर आदि बनाम हरिसिंह आदि

दावा बाबत :- 88/27Aet

मुकदमा नम्बर :- 56/2022

निर्णय दिनांक :- 6-12-2021

वादी की ओर से वकील मानु प्रताप सिंह की व प्रतिवादी सं० 1 व 2 की ओर से वकील अमर ज्योति कौशिक की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 6-12-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि सोही मोजा कलाऊ के खता सं० 175/174 के खसरा सं० 97 की प. 224 है, खसरा सं० 180 की प. 742 है, खसरा सं० 317 की प. 16 है, कुल 13.12 है बारात खेतवारी में पतिवारी सं० 1 हरिसिंह के नाम 184-8/15 दिस्सा राजस्थान रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी सं० 1 हरिसिंह के बजाए वादी सं० 1 रणवीर वादी सं० 2 पवन कुमार व प्रतिवादी सं० 1 हरिसिंह, प्रतिवादी सं० 2 अमिला को नदिस्सा बराबर के खेतवारी का बटाका व वीथिया किसे जात है यदि छवि मूक के रकब हो तो रकब मुक्त होने के उपरान्त व राजस्थान रिकार्ड में अपील कराये किम्प जावे

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 6-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

